(24)

संख्याः 183 /XXVI/एक भागीरथी(1)/2010

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
इरला चैक अनुभाग,
उत्तराखण्ड सचिवालय,
देहरादून।

नियोजन अनुभाग-1

देहरादून, दिनांकः 03 नवम्बर, 2011

विषयः- वित्तीय वर्ष 2011-12 में भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0-209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च 2011 एवं अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण के पत्र सं0-377/43/2011 दिनांक 30 सितम्बर, 2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण के कियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या-7 के अधीन लेखाशीर्षक "3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-092-अन्य कार्यालय-06-भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण की स्थापना-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अन्तर्गत संलग्नक में अंकित विवरणानुसार कुल धनराशि ₹ 30000 हजार (₹ तीन करोड मात्र) के सापेक्ष ₹ 25000 हजार (दो करोड़ पचास लाख) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1- स्वीकृत धनराशि आप द्वारा योजना कियान्वयन हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड देहरादून को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराई जायेगी। मुख्य कार्यपालक अधिकारी उक्त धनराशि को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय परिसर, देहरादून में खोले गये खाते में जमा करेगें और यथावश्यक सम्बन्धित अधिकारी अंकित व्यवस्थानुसार समय-समय पर इसका आहरण/व्यय करेगें।

2- प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं विकास कार्यों हेतु किया जायेगा जो कार्य कार्यपालिका समिति द्वारा स्वीकृत हों तथा उपरोक्त प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु स्वीकृत धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।

3- कार्यों की मासिक प्रगति प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक अगले माह की 10 तारीख तक उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। कार्यों का अनुश्रवण एवं भौतिक सत्यापन नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

4- योजना पर होने वाले उक्त व्यय का सम्परीक्षण महालेखानियन्त्रक, भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराया जाय।

5– 31 मार्च, 2011 तक धनराशि का उपयोग न होने की स्थिति में अवशेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण नही किया जायेगा बल्कि वास्तविक आवश्यकता पर उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी जितनी आवश्यक हो यदि गत वर्षों की धनराशि व्यय हेतु बची हो तो सर्वप्रथम उसको व्यय किया जायेगा और तब तक इस आदेश में इंगित धनराशि आहरित नहीं की जायेगी।

7– कार्य समयबद्व रूप से पूर्ण किया जायेगा यदि विलम्ब के कारण कार्य की लागत में वृद्धि होती है तो उसका उत्तरदायित्व प्राधिकरण का होगा।

2. उक्त संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान अनुदान संख्या–7 के अधीन लेखाशीर्षक "3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें–092–अन्य कार्यालय–06–भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण की स्थापना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–121P/XXVII(5)/2011-12, दिनांक 02 नवम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 183 (1)/XXVI/एक भागीरथी (1)/2010 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4. अपर सचिव, वित्त बजट नियंत्रक, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. वित्त विभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6. निजी सचिव, उपाध्यक्ष, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, देहरादून।
7. समन्वयक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

03/11/11

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्याः— 183/XXVI/एक भागीरथी (1)/2010, दिनांक 03 नवम्बर, 2011 का संलग्नक।

अनुदान सं0—07 लेखाशीर्षक	(धनराशि हजार ₹ में) आयोजनागत
3451—सचिवालय आर्थिक सेवायें 092—अन्य कार्यालय 06—भागीरथी नदी घाटी प्राधिकणर की स्थापना (अनुदान सं0 20 से स्थानान्तरित) 20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	25000

(दो करोड़ पचास लाख मात्र)

03/11/11

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
अपर सचिव।